न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 183/2026

जगदीश पुत्र कालूराम, निवासी ग्राम भटसूरी, पुलिस पीसांगन, नागौर।

-- प्रार्थी–अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, अजमेर। -- अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 356/2025 (सी.आई.एस. नं.545/2025) राज. सरकार बनाम जगदीश व अन्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 128/2025, पुलिस थाना पीसांगन, अजमेर, अपराध अन्तर्गत धारा 303(2), 112(2) व 3(5)भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित

1– श्री रोहित टांक, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से।

2– श्री जे.पी.शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक, राज. राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक–12.03.2026**

1. प्रार्थी–अभियुक्त जगदीश की ओर से यह जमानत का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित टांक ने प्रस्तुत किया, जिनकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस सुनी गई तथा अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

2. प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध सह–अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 03.08.2025 को परिवादी का ट्रेक्टर ट्रोली को चोरी करने का प्रथमदृष्टया आरोप है, जिसकी पुष्टि केस डायरी पर उपलब्ध फर्द गिरफ्तारी व अन्य दस्तावेजात से होती है, इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस थाना पीसांगन, अजमेर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 128/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किया गया और दौरान अनुसंधान प्रार्थी–अभियुक्त को दिनांक 21.08.2025 को गिरफ्तार किया गया।

2. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है। प्रार्थी–अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। सह–अभियुक्त न्यायालय के आदेश से जमानत पर आजाद है।

Authenticated Document

प्रार्थी–अभियुक्त पूर्व में दोषसिद्ध नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 303(2), 112(2) व 3(5) भारतीय न्याय संहिता का गंभीर अपराध कारित करने का आरोप है, जिसमें अभी सह–अभियुक्तगण की गिरफ्तारी शेष होकर प्रकरण अनुसंधानरत है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया।

5. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 03.08.2025 को सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी का ट्रेक्टर ट्रोली नम्बर आरजे–01 आरबी–9834 की चोरी कारित करने का प्रथम दृष्टया आरोप है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की सूची पत्रावली पर उपलब्ध है, जो निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	धारा	पुलिस थाना
1	46/2021	341,323,34 भारतीय दण्ड संहिता	पीसांगन
2	119/2019	379 भारतीय दण्ड संहिता	आनंदपुर कालू, जिला ब्यावर
3	02/2020	143, 341, 365, 379, 384 भा.दं.सं.	मूण्डवा, जिला नागौर
4	33/2018	224 भारतीय दण्ड संहिता	बागोर जिला भीलवाड़ा
5	108/2018	8/15 एनडीपीएस एक्ट	माण्डल जिला भीलवाड़ा
6	247/2016	379 भारतीय दण्ड संहिता	कोतवाली जिला अजमेर
7	367/2016	379 भारतीय दण्ड संहिता	क्रिश्चयनगंज जिला अजमेर
8	02/2017	279 भारतीय दण्ड संहिता	क्रिश्चयनगंज जिला अजमेर
9	03/2017	379 भारतीय दण्ड संहिता	क्रिश्चयनगंज जिला अजमेर
10	124/2025	303(2) भारतीय न्याय संहिता	पीसांगन
11	128/2025	303(2) भारतीय न्याय संहिता	पीसांगन
12	269/2025	303(2) भारतीय न्याय संहिता	ब्यावर सदर, जिला ब्यावर

प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज उपरोक्त आपराधिक प्रकरणों में से उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध किया गया हो, ऐसा नहीं बताया गया है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 21.08.2025 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में सह–अभियुक्त दियाल उर्फ दयाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 826/2025 दियाल उर्फ दयाल बनाम राज.राज्य जरिये आदेश दिनांक 08.09.2025 इस न्यायालय द्वारा स्वीकृतशुदा है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को उचित शर्त के अधीन जमानत का एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Authenticated Document

6. अतः प्रार्थी–अभियुक्त जगदीश की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त अपनी रिहाई हेतु पचास हजार रूपये का बन्ध–पत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो प्रतिभूति फोटो चस्पा, **जिनमें से एक जमानती प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त का निकट रिश्तेदार हो,** संबंधित विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध भविष्य में अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने और प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग किये जाने पर लोक अभियोजक को प्रार्थी–अभियुक्त की जमानत निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। **उक्त आदेश की एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (CRIMINAL) NO. 4/2021 IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में मुलजिम को उपलब्ध कराने हेतु जरिये ई–मेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित की जावे।**

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर

7. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर

DINESH MUNDRA
Digitally signed by DINESH MUNDRA
Date: 2026.03.12 14:31:29 +0530

Authenticated Document